भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 640

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

वार्षिक विवरणियों को दायर न करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को कारण बताओ नोटिस

640. श्रीमती वानसुक साइम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी प्राप्तियों की अपनी वार्षिक विवरणियों को दायर करने की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के लिए एक ही बार में सभी राज्यों में 10,300 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों और संघों को कारण बताओ नोटिस भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अभियान के अनुसरण में सरकार ने पूर्व के आंध्र प्रदेश राज्य में 1142 संघों के एफसीआरए लाइसेंसों को अब रद्द कर दिया है; और

(ग) क्या अपने एफसीआरए लाइसेंस को खोने वाले संघों में उस्मानिया विश्वाविद्यालय, हैदराबाद विश्व विद्यालय, आंध्र विश्वोविद्यालय विशाखापत्तनम और कई ईसाई गैर-सरकारी संगठने शामिल हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ग) : विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियमावली 2011 (एफ सी आर आर 2011) के नियम 17 (1) के अनुसार, विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से वर्ष की समाप्ति से तीन माह की अवधि के भीतर अर्थात् दिनांक 31 दिसम्बर तक प्रत्येक वित्त वर्ष के वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना अपेक्षित है । वर्ष 2014 में, वित्त वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करने वाले 10343 संगठनों को नोटिस जारी किए गए थे । गैर-सरकारी संगठनों को जवाब के लिए पर्याप्त समय दिया गया, परन्तु कोई जवाब प्राप्त नहीं हुए । विवरणी प्रस्तुत न करने वाले अथवा कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने वाले आन्ध्र प्रदेश के 1142 संगठनों का पंजीकरण दिनांक 3 मार्च, 2015 को निरस्त कर दिया गया था । इस प्रकार के गैर सरकारी संगठनों के ब्यौरे गृह मंत्रालय की वेबसाइट http:mha1.nic.in/fcra.htm पर उपलब्ध हैं ।

दिनांक 1 जुलाई, 2011 की राजपत्र अधिसूचना का.आ. 1492(अ) के अनुसार, सरकार ने केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा अथवा इसके तहत गठित अथवा स्थापित सभी निकायों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनिवार्य रुप से अपने लेखों की लेखा परीक्षा करवाने के लिए अपेक्षित विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 के सभी प्रावधानों के परिचालन से छूट दे दी है ।